Full title of the project - Access road to cart the soil from khodiya kheri village non forest land for construction of eight lane carriagewqy starting near junction with nh-76 to junction with nh-12 near village ummedpura{Ch.388.420 to Ch.419.00} sectio of Delhi-Vadodara acess controlled green field alignment{NH-148N}on EPCmode under Bharatmala Pariyojna in the state of Rajasthan,FOREST Diversion proposal under forest{Conservation} Act,1980

File no. FP/RJ/Approach/153700/2022

Date of proposal 16-05-2022

CHECK LIST SERIAL NUMBER - 16

Site inpsection report by an officer not below the renk of DCF/DFO

(for the forest land to be deverted under FCA)

1. A proposal hasbeen received by this office form DCF KOTA of diversion (under fca 1980) of 0.9632 ha of forest land for non forstery purpose.The subject envisages the use of forest land for ROAD The site inspectionof the land involved in the proposal has been done by me on 19-08-2022. On inspection of the site, it is found that the land required by the UAis a forest land measuring 0.9632 ha.The requirement of forest land as proposed by the UA in Col. 2 of part-1 is unavoidable and is barestminimum required for the project.

2. Whether any rare/ endangered/ unique species of flora andfauna found in the area? If so, the detail thereof;-NO

3. Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area if so, the details thereof with NOC from competent authority , if required.-NO

(a) The UA has not violated the provisions of the FCA,1980 and no work has started without proper sanction OR-NOT VIOLATED

(b) it has been found that the the UA has violation is attached.

(Note- Whichever of he above is applicable should be shown in bold letters)

4. specific recommendations for acceptance or otherwise of the proposal-YES MAY BE DIVERTED

place- KOTA

date.....

(Signature)

Name-JAIRAM PANDAY

Designation-DEAPUTY CONSERVATOR OF FOREST

OFFICE SEAL.....

उप वन संरक्षक
कोटा

संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा, कोटा, राजस्थान

–: संक्षिप्त नोट :–

संत श्री आशाराम जी गौशाला की स्थापना वर्ष 2002–03 में पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी की प्रेरणा से उनके साधक शिष्यों द्वारा की गई। प्रारम्भ मे इस गौशाला मे लगभग 250 गऊ मातायें जिन्हें कत्ल खाने ले जाया जा रहा था उन्हे छुड़वाकर प्रारम्भ की गई। वर्तमान में गौशाला में 514 गऊ माताओं की सेवा की जा रही है। (संलग्न)

संस्था का उद्देश्यः– गौ सेवा संवर्धन एवं सुरक्षा, पेयजल एवं चारे की व्यवस्था, अकाल से ग्रसित गायों की सेवा, गौ चिकित्सा हेतु उपाय करना, नस्ल सुधार को प्रोत्साहन देना, कृत्रिम गर्भाधान की सेवायें उपलब्ध करवाना, गौ महत्व का प्रचार प्रसार करना, गौ मूत्र एवं कम्पोस्ट के महत्व एवं उपयोगिता बताना, गौ माता पर होने वाले अत्याचार के बारे में चेतना जाग्रत करना एवं धार्मिक, सामाजिक जीवन में गौ माता के महत्व का प्रचार–प्रसार करना आदि रहा है।

पंजीयनः– गौ शाला केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की संस्थाओं से पंजीकृत है जिकना विवरण निम्नानुसार है। (संलग्न–3)

- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधि0 1958 के अन्तर्गत पंजियन क्रमांक 138/2002–2003 दिनांक 04.02.2003
- राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 747/06 दिनांक 23.03.2006
- भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार पंजियन क्रमांक RJ 537/2007

भूमि संसाधन एवं प्रकरण का विवरण :– राज्य सरकार की स्वीकृति, तहसीलदार लाडपुरा, पशु पालन विभाग एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति के आधार पर जिला कलेक्टर कोटा के आदेश सं.प.2(6)(1) राजस्व/1/02/19073–77 दिनांक 05.11.2004 से ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा के खसरा नं. 317 (0.92 है0), 318 (1.83 है0), 308/490 (0.14 है0), 309/491 (0.31 है0), 319 (1.49 है0) कुल 5 किता रकबा 4.69 है0 भूमि जो सिवाय चक थी को संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा को राजस्थान भू राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन नियम 195) एवं संशोधित नियम 2001 के अन्तर्गत गौशाला स्थापित करने हेतु 20 वर्ष की लीज रेट पर आंवटित की गई। उक्तानुसार उक्त भूमि वर्ष 2004 से ही गौशाला के कब्जे में है एवं गौशाला का संचालन किया जा रहा है। (संलग्न)

- उक्त आंवटित भूमि को विभाग द्वारा अपनी बताये जाने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा संयुक्त जॉच कमेटी गठित की गई, संयुक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि जो राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज थी को वन आरक्षित होना पाया जाने पर जिला कलेक्टर कोटा के आदेश क्रमांक प2(6)(1)राजस्व–1/02/1669–74 दिनांक 10.06.2015 से आंवटित भूमि का आवंटन निरस्त किया गया। (संलग्न)
- एस.बी.सी.रि.प. संख्या 19970/2013 में माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2013 के आदेशानुसार उक्त भूमि को वन भूमि मानते हुये वन संरक्षण अधि0 1980 के

उप वन संरक्षक
कोटा

अन्तर्गत गौशाला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये जाने पर गौशाला द्वारा प्रपोजल नं. FP/RJ/OTHER/25462/2017 प्रेषित कर दिया गया है।

- उक्त 4.69 है0 वन भूमि प्रतयावर्तन के बदले समतुल्य गैर वन भूमि ग्राम खेड़ली नौनेरा तहसील पीपल्दा मे खसरा नं. 40(0.56 है0), 42(1.01 है0), 173(1.78 है0), 174(0.60 है0), 10(0.56 है0) भूमि प्रस्तावित की जा चुकी है।
- उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव श्रीमान के कार्यालय के पत्रांक एफ(.....) तक00/उ.व.स./कोटा 2018–19/6382–87 दिनांक 27.06.2018 से श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को अग्रेषित कर दिए गये थे। जॉच उपरान्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के कार्यालय पत्रांक एफ13(व.स.)समु.व.सं./2018/5252 दिनांक 03.07.2018 से आक्षेपो की पूर्ति हेतु श्रीमान को भिजवाये गये थे जो आपके कार्यालय में आज दिनांक तक लंबित है।

वृक्षों की संख्या एवं प्रजाति :– वर्तमान में उक्त भूमि पर अशोक 13, ऑवला 13, वट वृक्ष 3, नीम 25, करंज 3, बेल 2, अमलतास 2, पीपल 14, शीशम 13, पलाश 2, बेर 2, गुरजन 1, गुलमोहर 2, रूद्राक्ष 1, सेमल 1, बादाम 2, जामुन 1, आम 2, बंबूल 3, कुल 105 वृक्ष लगे हुए है। उक्त पेड़ो की गौशाला द्वारा सार संभाल भविष्य में भी की जाती रहेगी एवं इन्हे काटा नही जावेगा।

भूमि उपयोग :– वर्तमान में उक्त भूमि पर कायन हाउस 4340 वर्ग मीटर गौसप्त मन्दिर 1760 वर्ग मीटर उच्च जलाशय 230 व.मी. शौचालय एवं गौ झरण पलांट भूमिगत जलाशय 270 व.मी., शिव मंदिर 1150 व.मी. भण्डार एवं पुस्तकालय 470 व.मी., गुरू कुटिया 790 व.मी. कुल 9010 व.मी. पर भवन आदि का निर्माण तथा 2236 व.मी. रोड व 2 ट्यूबवेल बने हुये है शेष 35654 व.मी. क्षेत्र खाली है जिस पर गायों के लिये चारा उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित भूमि पर 2009–10 में कच्ची व पक्की बाउन्ड्री वॉल का निर्माण भी करवाया हुआ है।

संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति
लखावा कोटा
मो.– 9413943890

क्रमांक : 20 दिनांक 25.08.22

श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय कोटा को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 18.08.2022 को क्षेत्र निरीक्षण की दौरान श्रीमान द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में संक्षिप्त नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : KML फाइल.

संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति
लखावा कोटा
मो.– 9413943890

उप वन संरक्षक
कोटा